

YOU CAN SUBMIT FORM 15G/15H ONLY IF INTEREST PAID/CREDITED IS WITHIN THE TAXABLE LIMITS AS BELOW.	
INDIVIDUAL RESIDENT BELOW 60 YEARS	Rs. 3,00,000/-
INDIVIDUAL RESIDENT ABOVE 60 YEARS BUT BELOW 80 YEARS	Rs. 7,00,000/-
SENIOR CITIZEN RESIDENT ABOVE 80 YEARS	Rs. 7,00,000/-

\*Taxable limits are applicable for current financial year

आप फॉर्म 15G/15H सिर्फ तब सब्मिट कर सकते हैं जबकि आपको अदा/क्रेडिट किया गया ब्याज निम्नानुसार टैक्स भुगतान की सीमाओं में आता हो।	
60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तिगत निवासी	रु. 3,00,000/-
60 वर्ष से अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तिगत निवासी	रु. 7,00,000/-
80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक निवासी	रु. 7,00,000/-

\*टैक्सेबल लिमिट मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए लागू हैं